पत्रांक— SPMU/257/2025-बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत बिहार राज्य के छात्र—छात्राओं द्वारा शिक्षा ऋण हेतु आवेदित आवेदनों के सत्यापन यथा—आवेदक का नामांकन, सत्र, हॉस्टल, संस्थान के बैंक खाता विवरणी, संस्थान के पता एवं आवेदक के नामांकन के प्रक्रिया इत्यादि का विभागीय प्रपन्न में सत्यापन कार्य TVPA Zone-I (बिहार) में अधिष्ठापित सरकारी एवं गैर—सरकारी संस्थानों से भौतिक रूप से कार्य करने हेतु M/s Abhay Techno Services Pvt.Ltd को अधिकृत कर उनके साथ किए गए अनुबंध से अवगत कराया गया है।

अतः बिहार राज्य अवस्थित सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों के प्रधान / प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत शिक्षा ऋण हेतु आवेदनों को विभागीय प्रारूप में सत्यापन करने में नव अधिकृत एजेंसी को सहयोग प्रदान करें।

ह०/-(सज्जन आर०) अपर सचिव—सह—नोडल पदाधिकारी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पटना। पटना, दिनांक : 20/01/2025

ज्ञापांक :- SPMU/257/2025- <u>2</u>3 प्रतिलिपि :-

- 1. निदेशक, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. उप मिशन निदेशक, युवा उप मिशन, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4. सचिव, शिक्षा विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by
Sajjan Rajasekar
Date: 18-01-2025 12:03:49
अपर सचिव—सह—नोडल पदाधिकारी,
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पटना।



विकसित बिहार के 7 निश्चय



बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

Advt. No. - SPMU/02/2023



एतद द्वारा राज्य के बाहर / राज्य के अंदर निजी एवं गैर सरकारी संस्थानों, निजी विश्वविद्यालयों सिहत के प्राचार्य / संचालक को विज्ञापन संख्या— SPMU/01/2022, दिनांक—16.09.2022 द्वारा नए संस्थानों के नाम एवं पाठ्यक्रमों को MNSSBY पोर्टल पर जोड़ने के लिए समय—सीमा निर्धारित करते हुए अंतिम तिथि 28.02.2023 किया गया था।

उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत् बिहार राज्य के छात्र—छात्राओं के हितों को देखते हुए विभिन्न संस्थानों द्वारा निर्धारित समय के उपरांत समर्पित आवेदनों को विभाग द्वारा प्रक्रिया में लाते हुए राज्य के बाहर / राज्य के अंदर निजी एवं गैर सरकारी संस्थानों के प्राचार्य / संचालक को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बिहार के बाहर अवस्थित संस्थानों के लिए विभागीय संकल्प संख्या—1462, दिनांक— 05.07.2019 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक अर्हता के आलोक में तथा बिहार के अंदर वैसे संस्थान जिनका मानक UGC/AICTE/राज्य विश्वविद्यालय एवं संबंधित राज्य सरकार के विभाग से प्राप्त NOC अर्हता रखने वाले संस्थानों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत नए संस्थानों के नाम एवं पाठ्यक्रमों को MNSSBY पोर्टल पर जोड़ने हेतु इच्छुक सभी संस्थान अपना आवेदन विहित प्रपत्र में संबंधित सत्यापित अभिलेख एवं अनुलग्नकों के साथ संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग के कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति तथा email Id-spmubscc@bihar.gov.in पर माह अगस्त, 2023 से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

नोट :— 1. बिहार राज्य अवस्थित सभी निजी संस्थान के द्वारा NAAC/NBA/NIRF के संबंध में ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए समर्पित आवेदन की प्रति उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। 2. उपर्युक्त से संबंधित सूचना एवं विहित प्रपत्र website - https://www.7nishchay.yuvaupmission.bihar.gov.in पर नोटिस टैब में उपलब्ध है।

प्रभारी पदाधिकारी, SPMU, BSCC संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

Email Id- spmubscc@bihar.gov.in | Ph. No.- 0612-2230059

PR-005843 (Education) 2023-24

<u>Standard Operating Procedure (SoP) for Institute and course addition & extension/change of accreditation</u>

<u>Introduction</u>: To avail Bihar Student Credit Card Scheme, institutes must be added in the Mukhyamantri Nishchay Swayam Sahayata Bhata Yojana (MNSSBY) portal (https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in). The applicant can view the Advt. No-SPMU/01/2022 & SPMU/02/2023 under important notice tab of the portal and apply accordingly (https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/notifications).

State Project Management Unit (SPMU) processes the applications received from institutes and recommends for addition in MNSSBY portal, if they fulfill the eligibility criteria. Approved institutes/courses are forwarded to the software agency for addition in the portal.

Periodically, institutes having NAAC/NBA/NIRF may require extension of their validity period. The request is processed in a similar manner and if approved, a letter is sent to the software agency for updating accreditation/validity period.

Who can apply?

The following can apply:-

- A) Student studying at the institute
- B) Institute itself
- C) Concerned government department

For Government Institutes: All 3 modes are accepted for further processing. It is applicable to institutes both within and outside Bihar without any application time window.

For Non-Government Institute:

- (a) For new applications- Only Institutes can apply.

 Institute has to submit details in Prescribed Performa (as per Advt. No-SPMU/01/2022 & SPMU/02/2023).

 https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/resources/Details%20required.pdf
- (b) For NAAC/NBA/NIRF extension: As the institute already exists in the portal, their request will be considered in Prescribed Performa (as per Advt. No-SPMU/01/2022 & SPMU/02/2023) for further processing.

What documents are required?

For Government Institutes-

- > Documents supporting recognition by Central or State government.
- Courses offered by the institute.
- ➤ Latest approval letter from Statutory Regulating Authority (SRA) like AICTE, NMC etc.

• For Non-Government Institutes-

(i) INSIDE BIHAR-

- ➤ Latest affiliation letter from the Affiliating University & Course regulating body.
- From academic session 2024-25 institutes must have NIRF/NBA/NAAC with minimum grading 'C'.
 - **Exception** The institute which doesn't have either atleast two batches passed out or hasn't completed atleast 5 years since the date of opening the institute, they are required to provide an affidavit to this effect.
 - For ITI institutes, must fulfill all criteria as per Advt. No-SPMU/03/2023, dated-11-08-2023.

https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/resources/Notice-3.png

- ➤ Latest approval letter from Statutory Regulating Authority (SRA) like AICTE, NMC etc.
- ➤ Institute must submit their request with all relevant documents as per Advt. No- SPMU/01/2022 & SPMU/02/2023.

(ii) OUTSIDE BIHAR-

- ➤ Latest affiliation letter from the Affiliating University & Course regulating body.
- For autonomous colleges, UGC letter conferring autonomous status.
- ➤ Institutes outside Bihar should provide documents related to either one of the below criteria (as per extant guideline as per Sankalp No-1462, dated-05-07-2019):
 - i. Ranking in latest NIRF report,
 - ii. Minimum NAAC'A' grade (IIQA document is also required),
 - iii. NBA accreditation.
- Latest approval letter from Statutory Regulating Authority (SRA) like AICTE, NMC etc.
- Institute must submit their request with all relevant documents as per Advt. No- SPMU/01/2022 & SPMU/02/2023.

<u>Note:</u>- Additional documents may also be needed as per requirement (communicated via official email).

How applications are processed -

- File in-charge will process the applications received. Applications fulfilling scheme criteria and different relevant guidelines (eg NAAC`A'/NBA/NIRF accreditation for private institute outside Bihar) only will be considered. File in-charge will prepare a Guard file, applications received and note sheet with specific recommendation.
- Officer in-charge will peruse the file and will put up with his/her recommendation to the Nodal Officer.
- After approval of the Nodal Officer, a letter with approved institute and courses name will be issued (in letter and in excel form) to the software agency for addition on MNSSBY portal.

Note:-

- (i) SOP has been approved by the competent authority.
- (ii) The Process can be modified in future, as deemed appropriate, by the competent authority.

Nodal officer,
Bihar student credit card scheme,
Education department.



विकसित बिहार के ७ निश्चय

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना





Advt. No.-SPMU/04/2023

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत बिहार अवस्थित निजी संस्थानों के लिए मानक निर्धारण की गई है, जो इस प्रकार है:-

- I) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत MNSSBY पोर्टल पर अंकित बिहार राज्य अवस्थित निजी संस्थान जो पाँच वर्ष की अवधि अथवा दो बैच का सत्र अविध (दोनों में जो कम हो) पूर्ण कर चुका है। उक्त संस्थान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सत्र—2023—24 के लिए NIRF अथवा NBA अथवा NAAC की ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए समर्पित आवेदन की सत्यापित छाया प्रति SPMU कार्यालय को तीन माह के अंदर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगें। वैसे सभी संस्थानों को सत्र—2024—25 से NIRF अथवा NBA अथवा NAAC का न्यूनतम ग्रेडिंग Cतथा सत्र—2025—26 से NIRF अथवा NBA अथवा NAAC का न्यूनतम ग्रेडिंग B से अईत्ता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
- ii) MNSSBY पोर्टल पर अंकित बिहार राज्य अवस्थित ऐसे निजी संस्थान जिनकी पाँच वर्ष की अविध अथवा दो बैच की सत्र अविधिपूर्ण नहीं हुई है, वैसे संस्थान इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेगें की पाँच वर्ष की अविध अथवा दो बैच की सत्र अविध (दोनों में जो कम हो) पूर्ण करते ही तीन माह के अंदर SPMU कार्यालय को NIRF अथवा NBA अथवा NAAC के ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए समर्पित आवेदन की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध करवायेगें।
- iii)उपरोक्त अर्हत्ता तत्काल प्रभाव से बिहार अवस्थित सभी निजी संस्थानों के लिए लागू होगी।

Email Id- spmubscc@bihar.gov.in

Ph. No.- 0612-2230059

प्रभारी पदाधिकारी, SPMU, BSCC संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

PR-007291 (Education) 2023-24

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है